<u>2017 का विधेयक संख्यांक 269</u>

[दि गुड्स एडं सर्विसिज टैक्स (कम्पेनसेशन टू स्टेट्स) अमेंडमेंट बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)
अधिनियम, 2017 का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह 2 सितंबर, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

अनुसूची का संशोधन ।

2. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की अनुसूची में,-- 2017 का 15

(i) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"4क	चालक सहित तेरह से अनधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर यान ।	8702 10, 8702 20, 8702 30 या 8702 90	मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत ।";

(ii) क्रम संख्या 5 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर " मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अध्यादेश, 2017 को निरसित किया जाता है । 2017 का अध्यादेश सं0 5

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई को, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के अधीन किया गया समझा जाएगा । 2017 का 15

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) को, राज्यों को माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत होने वाली राजस्व की हानि के लिए प्रतिकर हेतु उपबंध करने के विचार से अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम, अन्य बातों के साथ, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों और सेवाओं की अन्तराराज्यीय और साथ ही अंतरराज्यीय पूर्ति पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से अनधिक दर पर प्रतिकर उपकर को अधिरोपित करने का उपबंध करता है ।

2. माल और सेवा कर परिषद् ने 5 अगस्त, 2017 को हुई अपनी 20वीं बैठक में, शीर्ष 8702 और शीर्ष 8703 के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों से संबंधित प्रविष्टि में अधिकतम दर (जिस पर प्रतिकर उपकर संगृहीत किया जा सकेगा) में 10% की वृद्धि (अर्थात् 15% से 25%) करने की सिफारिश की है ।

3. उक्त प्रविष्टियों के लिए अधिकतम दरों को, माल और सेवा कर परिषद् की अगली बैठक, जिसे 9 सितंबर, 2017 को कराया जाना था, से पहले माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 को संशोधित करके तुरंत बढ़ाया जाना आवश्यक था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मोटर यानों के लिए प्रतिकर उपकर हेतु अधिकतम दर में कुशन उक्त बैठक में उपलब्ध हो ।

4. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी, इसलिए परिस्थिति की असाधारण अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 2 सितंबर, 2017 को माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अध्यादेश, 2017 को प्रख्यापित किया था ।

5. यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
20 दिसंबर, 2017

अरूण जेटली

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017 में भारत की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 15) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*

अनुसूची

(धारा 8(2) देखिए)

*　　*　　*　　*　　*

1975 का 51

2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम, भाग और अध्याय टिप्पण तथा पहली अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण, जहां तक हो सकें, इस अनुसूची के निर्वचन के लिए लागू होंगे,--

क्र. सं.	माल या सेवाओं की पूर्ति का वर्णन	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष, अध्याय या यथास्थिति, माल या सेवाओं की पूर्ति	वह अधिकतम दर जिस पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर संगृहीत किया जा सकेगा
(1)	(2)	(3)	(4)
*	*	*	*
4.	वातित जल	2202 10 10	मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत
5.	व्यक्तियों के परिवहन के लिए प्रमुखतः अभिकल्पित मोटर कार और अन्य मोटर यान (चालक सहित दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर से भिन्न), जिसके अन्तर्गत स्टेशन वैगन और दौड़ प्रतियोगिता वाली कार भी हैं	8703	मूल्यानुसार पंद्रह प्रतिशत

*　　*　　*　　*　　*

GMGIPMRND—3044LS(CRC)—20-12-2017.